न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी नेहा राठी आर0ए0एस

मुकदमा नं0 28/2025

1. गोरीशंकर पुत्र नानगा
2. बंशीलाल पुत्र नानगा
3. मालीराम पुत्र नानगा समस्त जाति जाट निवासी गुढामानसिंह, कुड़ियों का बास, तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान। .....वादीगण

वनाम

1. कजोड़मल पुत्र हनुमान
2. बिरदाराम पुत्र हनुमान
3. रामकरण पुत्र हनुमान समस्त जाति जाट निवासी गुढामानसिंह, कुड़ियो का बास, तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा भैसावा जरिये प्रबंधक।
5. तहसीलदार तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

...प्रतिवादीगण

वाद घोषणा खातेदारी
अंतर्गत धारा 88 रा0टी0ऐ0

उपस्थित :– 1. श्री रामसिंह अधिवक्ता वादीगण
2. श्री पुष्पेन्द्र सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3

दिनांक :– 29/09/2025

निर्णय

वादीगण द्वारा वाद बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 आर0टी0ए0 इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 66 खाता संख्या पुराना 58 की आराजी खसरा नंबर 197/2 रकबा 0.1497 हैक्टेयर वाकै ग्राम गुढ़ामानसिंह, पटवार हल्का कुडियो का बास, भू०अभि०नि० क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में हिस्सा अनुसार जमाबंदी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 197/3 वादीगण की आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित है जिसके पश्चिमी हिस्से पर वादीगण पूर्वजो के समय से काबिज

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की आराजीयात के दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 3 की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 197/3 स्थित है तथा प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे काश्त की आराजीयात की पश्चिमी तरफ की सींव की जमीन को अपनी अराजीयात में मिलाकर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है तथा जिसके कारण आये दिन वादीगण की आराजीयात की पश्चिमी सींव की भूमि को जबरन कब्जा काश्त करने पर आमादा है। किन्तु वादीगण द्वारा विरोध करने पर इनके इस प्रकार के प्रयास असफल होते रहे है। वादीगण व प्रतिवादीण के पूर्वजो ने आराजी खसरा नंबर 197 का विभाजन करवाने के पश्चात खसरा नंबर 197/1, 197/2, 197/3 बने है। लेकिन मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 197/2 व 197/3 की आराजीयात को पूर्व–पश्चिम 1/2 भाग में आपसी सहमती से बांटकर कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की कब्जे काश्त की जमीन को बेचान व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। वादीगण ने खसरा नंबर 197/3 की पश्चिमी हिस्से की आराजीयात के बदले दक्षिणी दिशा में खसरा नंबर 197/2 की जमीन छोड़ दी थी जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा खसरा नंबर 197/3 के पश्चिमी हिस्से की जमीन को पूर्वजो के समय से वादीगण अपनी खातेदारी आराजीयात में मिलाकर उन्नत व विकसित कर कब्जा काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। लेकिन प्रतिवादी सं01ल03 सींव जोड पड़ौसी होने के कारण वादीगण की आराजीयात के लगवा सींव फौड़कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर जबरन वादीगण को बेदखल करने की कोशिश करते रहते है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मरतबा ऐसा करने से मना किया व पश्चिम दिशा खसरा नंबर 197/3 की जमीन को वादीगण के नाम कराने को कहा तो प्रतिवादीगण मुकर गये तथा अनाधिकृत रूप से वादीगण के हिस्से की आराजीयात पर जबरन अतिक्रमण करने की धमकी दी है। प्रतिवादी सं. 1 ल. 3 वादीगण की आरजीयात पर जबरन निर्माण कर कब्जा करने पर उतारू है। वादीगण दिनांक 05.01.2025 को अपनी आराजीयात की सुरक्षा के लिए तारबन्दी करने लगा तो प्रतिवादी सं01 ल0 3 ने वादीगण को तारबन्दी नहीं करने दी और वादीगण की आराजीयात की सींव मेड़ को फौडकर उसमें कब्जा करने की नियत से ट्रैक्टर चलाने पर आमादा हो गये और लड़ाई झगड़ा करने लगे तब वादीगण ने बड़ी मुश्किल से प्रतिवादी सं. 1 ल. 3 को रोका लेकिन प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी की आयन्दा तुम्हारी जमीन में कब्जा कर लेंगे व भूमाफिया को बेचान कर देंगे और तुम्हे बेदखल कर देंगे। जिसरो वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वादीगण का वाद बाबत घोषणा खातेदारी विरूद्ध प्रतिवादी सं01ल03 डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 197/3 की आराजीयात को प्रतिवादी सं01ल03 के नाम दर्ज है उसमें वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड से प्रतिवादी सं01ल03 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में वादीगण का नाम अमल दरामद करवाया जावे। प्रतिवादी सं01ल03 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे किये जावे वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित आराजीयात में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मजाहमत व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, ना ही वादग्रस्त भूमि को रहन बैय मुंतकिल, हस्तान्तरण, बेचान, दान इत्यादि करे व ना ही किसी प्रकार से कब्जा करे, ना ही वादीगण को बेदखल करे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 उ0 मय अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आए।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनाम मय नक्शा इस आशय का पेश किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। मुताबिक नक्शा 'ए' भाग में प्रतिवादीगण काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार प्रतिवादीगण के हिस्से मे रहेगी तथा 'बी' भाग में वादीगण काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार भाग 'बी' वादीगण के हिस्से में रहेगा। इस प्रकार नजरी नक्शा राजीनामे का भाग रहेगा। वादीगण व प्रतिवादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु सहमत है। तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में हाजिर होकर मुताबिक राजीनामा एवं नक्शे के वादीगण का वाद डिक्री किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

वादी संख्या 03 द्वारा अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र इस आशय का पेश किया गया कि मेरे व मेरे भाईयो की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 66 खाता संख्या पुराना 58 की आराजी खसरा नंबर 197/2 रकबा 0.1497 हैक्टेयर वाकै ग्राम गुढ़ामानसिंह, पटवार हल्का कुडियो का बास, भू०अभि०नि० क्षेत्र करणसर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी वादीगण की खातेदारी में हिस्सा अनुसार जमाबंदी में दर्ज है तथा खसरा नंबर 197/3 वादीगण की आराजीयात के दक्षिण दिशा में स्थित है जिसके पश्चिमी हिस्से पर वादीगण पूर्वजो के समय से काबिज काश्त होकर उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादीगण की आराजीयात के दक्षिण दिशा में प्रतिवादीगण सं01ल03 की

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 197/3 स्थित है वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों ने आराजी खसरा नंबर 197 का विभाजन करवाने के पश्चात खसरा नंबर 197/1, 197/2, 197/3 बने है। लेकिन मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने खसरा नंबर 197/2 व 197/3 की आराजीयात को पूर्व-पश्चिम 1/2 भाग में आपसी सहमती से बांटकर कब्जा काश्त कर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

वादीगण की ओर से अपने वादपत्र के समर्थन में पीडब्ल्यू-1 मालीराम को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये जिनमें जमाबंदी सम्वत 2075 पेश किया, प्रर्दश 1 है। तथा जमाबंदी सम्वत 2075 ख0नं0 197/3 पेश किया, प्रर्दश 1 है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा अंतिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का गहनता से अध्ययन किया। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 197/3 रकबा 2.1497 हे0 वाकै ग्राम कुडियों का बास तह0 जोबनेर में स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनाम हो चुका है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा मय नक्शा पेश कर वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री करने हेतु सहमति प्रदान की गयी है। अतः वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा के अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं संलग्न नक्शे के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं नक्शा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

नेहा त्यागी (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर